



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट – ए संख्या – 974 सन् 2026

श्रीमती आंटी देवी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता : धीरज सिंह

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या – 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री धीरज सिंह तथा राज्य की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उनके पति अमरजीत यादव, जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे, का दिनांक 19.12.2024 को निधन हो गया। तथापि, याचिकाकर्ता को अब तक जी.पी.एफ., समूह बीमा तथा अन्य सेवानिवृत्ति/अंतिम लाभों का भुगतान नहीं किया गया है।
3. दूसरी ओर, स्टैंडिंग काउंसिल का कहना है कि याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्टया निर्णय प्रतिवादी संख्या-2 द्वारा किया जाना आवश्यक है।
4. बार में प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, यह रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि याचिकाकर्ता स्वयं द्वारा सत्यापित रिट याचिका की प्रति तथा आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक समग्र प्रत्यावेदन प्रतिवादी संख्या-2 के समक्ष प्रस्तुत करें। उक्त प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर, प्रतिवादी संख्या-2 विधि के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार कर, प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर निर्णय करेगा।

जनवरी 28, 2026

एन.एस.राठौर

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"